[2021] 8 एस. सी. आर. 451

माधव

वी.

मध्य प्रदेश राज्य

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 852)

18 अगस्त, 2021

[इंदिरा बनर्जी और वी. रामसुब्रमणियन, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860: धारा 302 आर/डब्ल्यू धारा 34- हत्या-अभियोजन मामला कि तीन अभियुक्तों, ए1, ए2 और ए3 ने समान इरादे को आगे बढ़ाते हुए हमला किया, ए1 के भाई पर हथियारों से हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मौत हो गई-ए2 पीड़ित को अस्पताल ले गया और पुलिस को जानकारी भेजी कि हमला पीडब्लू 6 और 7 द्वारा किया गया था। ए1, ए2 और ए3 धारा 302 आर/डब्ल्यू 34 निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा-इस न्यायालय के समक्ष ए2 और ए3 द्वारा अपील-आयोजित- शुरू से ही अभियोजन पक्ष की ओर से पहली प्राथमिकी में नामित दोषियों को बचाने का प्रयास किया गया था, राजनीतिक दबाव के कारण, जैसा कि आई. ओ. द्वारा स्वीकार किया गया था और मुख्य गवाह द्वारा पुष्टि की गई थी-आई. ओ. ने जांच को इस इरादे से किया था कि आई. ओ. सूचक और उसके परिवार के सदस्यों को आरोपी के रूप में और प्राथमिकी में नामित वास्तविक दोषियों को बचा दें। मुख्य गवाह की ओर से स्वीकार किए जाने से अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से अविश्वसनीय हो गया। अभियोजन पक्ष का गवाह जो कथित रूप से जब्ती का गवाह था, मुकर गया-निचली अदालतों ने आई.ओ. और मुख्य गवाहों के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण स्वीकारों की अनदेखी की-व उन्होंने सामान्य मानव आचरण को ध्यान में नहीं रखा अभियोजन पक्ष की ओर से विफलता रही। यह स्थापित करने के लिए कि चाकू और लाठियों पर खून के धब्बे मृतक के थे-इसके अलावा, यह अविश्वसनीय है कि तीन आरोपी (ए-1,2 और 3) पीड़ित की मृत्यु का कारण बने क्योंकि वह Rs.250/- रूपया वापस करने में विफल रहा, जो किसी तीसरे व्यक्ति

(पीडब्लू-7) को देय था और इसके बाद, उन्होंने जानबूझकर पीडब्लू-7 को अभियुक्त के रूप में नामित किया- इस प्रकार, नीचे की अदालतों द्वारा ए 2 और ए 3 को दोषी ठहराने के आदेश को दरकिनार कर दिया गया- चूंकि अभियोजन पक्ष की कहानी को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया है, इसलिए ए-1 को उक्त निष्कर्ष के लाभ से केवल इस तकनीकी आधार पर इनकार करना कि वह अपील पर नहीं है, अन्यायपूर्ण होगा-ए 1 की दोषसिद्धि को भी दरकिनार कर दिया गया।

आपराधिक कानूनः यन्यंत्र उपस्थिति - दलील-जांच पर असर- धारित: कभी-कभी अपराध करने वाले व्यक्ति स्वयं निर्दोष होने का बहाना बनाने के लिए पहले मामला दर्ज कराते हैं- हालांकि ऐसे मामलों में जांच आम तौर पर पहले उन लोगों के खिलाफ आगे बढ़ेगी जिन्हें प्राथमिकी में आरोपी के रूप में नामित किया गया है और उसके बाद ही संदेह स्वयं सूचक पर पर किया जा सकता है।

भारत का संविधानः अनुच्छेद 142 शक्ति के अंतर्गत गुजांइश सह-अभियुक्त को तत्काल अपील का लाभ जो अपील पर नहीं आया है-अस्वीकार-धारित: अपील में मामले के समापन के लाभ से कथित सह-अभियुक्त को केवल इस तकनीकी आधार पर इनकार करना कि वह अपील पर नहीं है, घोर अन्याय होगा, जब इस न्यायालय को अनुच्छेद-142 के तहत अधिकार दिया गया है- पूर्ण न्याय करने के लिए वास्तव में यह न्यायालय अपील में अभियुक्तों की ओर से व्यक्तिगत प्रकट कृत्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालने के लिए आगे नहीं बढ़ी कि वे वरी होने के हकदार हैं- इस प्रकार, सह-अभियुक्त की दोषसिद्धि और सजा को भी दरकिनार कर दिया जाता है

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

धारित किया : 1.1 यह काफी अजीब और पूरी तरह से समझ के परे है कि कैसे, कहां, क्यों और किस समय पीडब्लू 6 और 7 के खिलाफ शुरू होने वाली जांच ने यू-टर्न ले लिया और सूचक और उसके परिवार के सदस्यों की ओर बढ़ गई-शुरू से ही अभियुक्तों द्वारा यह बचाव किया गया कि राजनीतिक प्रभाव के कारण उन्हें अभियुक्त बनाया गया और वास्तविक

अभियुक्तों को गवाह बनाया गया। इसकी पुष्टि पीडब्लू-14 (आई. ओ.) द्वारा की गई स्वीकारोक्ति से होती है कि जब उन्होंने 14.05.2008 पर जाँच शुरू की थी, तो राजनीतिक दलों द्वारा प्रदर्शन किए गए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि पीडब्लू 14 ने जिरह के दौरान यह स्वीकार किया है कि उन्हें पता नहीं था, उस समय जब उन्होंने सुबह जांच शुरू की थी, कि क्या प्राथमिकी में नामित आरोपी, अर्थात् पीडब्लू 6 और 7 पुलिस हिरासत में थे, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि जांच शुरू करने के बाद उन्होंने दोनों को गिरफ्तार नहीं किया। आई. ओ. ने अपराध करने में पी. डब्ल्यू. 6 और 7 की भूमिका पर संदेह क्यों नहीं किया, इसका कारण स्पष्ट नहीं है। यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि कभी-कभी अपराध करने वाले व्यक्ति स्वयं पहली जानकारी देते/दर्ज करते हैं, ताकि निर्दोष होने का बहाना बनाया जा सके। लेकिन ऐसे मामलों में भी जांच आम तौर पर पहले आगे बढ़ती है। एफ. आई. आर. में अभियुक्तों के रूप में नामित लोगों के खिलाफ और उसके बाद, संदेह की सुई स्वयं सूचक के खिलाफ हो सकती है। [पैरा 15 , 16 , 17] [460 - जी-एच; 461-ए-डी]

1.2 ऐसा कभी-कभी होता है कि असली अपराधी किसी अपराध की जॉच को गलत दिशा देने के लिए ज्ञात या अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम सूचना दर्ज करते हैं, लेकिन ऐसे मामले में भी, यह केवल पहली प्राथमिकी की जांच के दौरान ही है कि मामला यू-टर्न ले सकता हैं। जब ऐसा होता है, तो सूचक को भा०दं०वि० के अध्याय 11 के विभिन्न प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अतिरिक्त आरोपों का भी सामना करना पड़ सकता है। ठीक यही कारण है कि इस मामले में अभियोजन पक्ष ने भा०दं०वि० की धारा 194 और 211 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए ए-2 पर आरोप लगाया। लेकिन निचली न्यायालय ने उन्हें इन दो प्रावधानों के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया। [पैरा 19] [462-डी-एफ]

1.3 अभियोजन पक्ष द्वारा बनाई गई कहानी यह थी कि ए-1 का अपने भाई (मृतक) के साथ अपराध कारित करने से पूर्व किसी Rs.250/- राशि का पीडब्लू 6 को पुनर्भुगतान न करने को लेकर उनके बीच झगड़ा हुआ और झगड़े में ए-1 घायल हो गया

और उसके बाद सभी 3 अभियुक्तों ने पीड़ित पर हमला कर दिया जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। ए-1 के पास पीडब्लू 6 का मुद्दा उठाने और अपने ही भाई की हत्या करने की हद तक जाने का कोई कारण नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य से, निचली अदालत ने ए-1 और मृतक दोनों की मां डी. डब्ल्यू-1, की गवाही के आधार पर इस कहानी पर विश्वास किया। डी. डब्ल्यू.-1 ने अपनी गवाही में केवल इतना ही कहा कि ए.-1 ने मृतक से सवाल किया कि वह पी. डब्ल्यू. 6 को देय धन क्यों नहीं लौटा रहा है। [पैरा 25] [464-ई-एच]

1.4 पीडब्लू-9 की गवाही पर आते हुए, जिसे अभियोजन पक्ष के लिए स्टार गवाह के रूप में पेश किया गया था, आईओ द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण कि क्यों अपराध की घटना के 21 दिनों के बाद उसका बयान दर्ज किया गया अविश्वसनीय है। किसी भी मामले में, यदि उसके साक्ष्य को स्वीकार किया जाना है, तो इसे कुल मिलाकर स्वीकार किया जाना चाहिए। उसके साक्ष्य का एक हिस्सा निकाला गया है, जहां उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि पीडब्लू 6 और 7 को मूल रूप से हिरासत में लिया गया था और जिस जाति के लोगों ने विरोध किया था और उन लोगों ने पुलिस पर भी पीडब्लू 6 और 7 को क्लीन चिट देने का दबाव डाला था। पीडब्लू-9 की ओर से इस स्वीकारोक्ति ने अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से अविश्वसनीय बना दिया। [पैरा 26] [464 जी; 465-ए-बी]

1.5 इस तथ्य के अलावा कि जिन गवाहों की उपस्थिति में कथित रूप से हथियारों की जब्ती की गई थी, वे पक्ष द्रोही हो गए थे, एक बात और भी थी। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि उन हथियारों में जो खून के दाग मौजूद थे, वह मृतक के खून से मेल खाते थे। दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय एक गलत आधार पर आगे बढ़ा कि अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य थे, केवल इसलिए क्योंकि एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस द्वारा जब्त किए गए चाकू और लाठियों में मानव रक्त के दाग थे। अभियोजन पक्ष ने न तो एफएसएल की रिपोर्ट के माध्यम से और न ही किसी अन्य तरीके से यह स्थापित किया है कि चाकू और लाठियों में खून के धब्बे मृतक के थे। [पैरा 27] [465-बी-ई]

1.6 पीडब्लू-1, जो कथित तौर पर जब्ती का गवाह था, मुकर गया था पक्षद्रोही

हो गया था। शुरू से ही अभियोजन पक्ष की ओर से राजनीतिक दबाव के कारण पहली प्राथमिकी में नामित दोषियों को बचाने का प्रयास किया गया है, जैसा कि पीडब्लू-14 द्वारा स्वीकार किया गया है और पीडब्लू-9 द्वारा पुष्टि की गई है, जिसे अभियोजन पक्ष एक स्टार गवाह मानता है। दुर्भाग्य से, सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने इन पहलुओं की पूरी तरह से अनदेखी की। [पैरा 33] [467 बी-डी]

1.7 इस मामले में जांच पीडब्लू 14 द्वारा सच्चाई का पता लगाने के इरादे से नहीं, कि गई थी, बल्कि बाहरी विचारों के लिए उसी तथ्य को गहराई से दफनाने के लिए और यह कि सूचक और उसके परिवार के सदस्यों को आरोपी बनाने और प्राथमिकी में नामित वास्तविक दोषियों को बचाने के लिए बनाया गया था। सत्र न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों पूरी तरह से पीडब्लू 9 और 14 द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति की अनदेखी की उन्होंने सामान्य मनुष्य आचरण को भी ध्यान में नहीं रखा है। यह अविश्वसनीय है कि ए-1, ए-2 और ए-3 के कारण ए-1 के भाई की मृत्यु हो गई क्योंकि पीड़ित पी. डब्ल्यू.-7 को देय राशि को वापस करने में विफल रहा और उसके बाद, उन्होंने जानबूझकर पी. डब्ल्यू. 7 को आरोपी के रूप में नामित किया। यह भी उतना ही अविश्वसनीय है कि पीड़ित की हत्या करने वाले व्यक्तियों में से एक, गवाहों की उपस्थिति में, पीड़ित के शव को ऑटोरिक्शा में अस्पताल ले गया। ऐसी परिस्थितियों में सामान्य मानव व्यवहार या तो घटना स्थल से भागना होगा या आत्मसमर्पण करने के लिए पुलिस स्टेशन जाना होगा, सिवाय उन मामलों के जहां वे बुद्धिमान और अनुभवी अपराधी हैं। ऐसा भी नहीं हुआ। [पैरा 35] [467-ई-एच; 468 - ए]

1.8 यह अंकित किया जाता है कि ए-1 अपील पर नहीं आया है। हालांकि राज्य की ओर से अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि ए-1 का मामला पूरी तरह से अलग आधार पर खड़ा है और इसलिए, उसके द्वारा एक स्वतंत्र अपील के अभाव में, उसे कोई राहत नहीं दी जा सकती है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां इस न्यायालय ने ए-2 एवं

ए-3 अपीलकर्ता की ओर से व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कृत्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि वे बरी होने के हकदार है। यह एक ऐसा मामला है जहॉ हमने अभियोजन पक्ष की कहानी पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया है । इसलिए, ए-1 को उक्त निष्कर्ष के लाभ को केवल इस तकनीकी आधार पर अस्वीकार करना कि वह अपील पर नहीं है, एक घोर अन्याय के लिए आंखें बंद करना होगा, विशेष रूप से जब इस न्यायालय को अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने का अधिकार है। [पैरा 36] [468-ए-डी]

1.9 ए-1 सहित तीनों अभियुक्तों के खिलाफ सत्र न्यायालय द्वारा कि गयी सजा और उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखी गयी सजा को खारिज कर दिया जाता है। [पैरा 37] [468-डी]

कारी चौधरी बनाम श्रमती सीता देवी एवं वगैरह । **(2002) 1 एससीसी 714 [2001] 5 पूरक एससीआर 588**; राघव प्रपन्ना त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 74: [1963] एस. सी. आर. 239;** कंस बेहरा बनाम. उड़ीसा राज्य **(1987) 3 एससीसी 480: [1987] 2 एस. सी. आर. 1096;** सुरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य **(1989) 2 पूरक। एससीसी 21;** रघुनाथ रामकिशन और अन्य बनाम वी. हरियाणा राज्य **(2003) 1 एससीसी 398 : [2002] 4 पूरक। एस. सी. आर. 130;** सत्ततीय बनाम महाराष्ट्र राज्य **(2008) 3 एस. सी. सी. 210;** राजस्थान राज्य बनाम तेजा राम और अन्य **(1999) 3 एस. सी. सी. 507;** गुरा सिंह बनाम राजस्थान राज्य **(2001) 2 एस. सी. सी 205: [2000] 5 पूरक। एस. सी. आर. 408;** प्रभु दयाल बनाम राजस्थान राज्य **(2018) 8 एस. सी. सी. 127; आर**. शाजी बनाम केरल राज्य **(2013) 14 एस. सी. सी. 266: [2013] 3 एस. सी. आर. 1172;** प्रभु बाबाजी नवल बनाम बॉम्बे राज्य **ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 51;** जॉन पांडियन बनाम राज्य **(2010) 14 एस. सी. सी 129: [2010] 15 एससीआर 1012;** सुनील क्लिफोर्ड डेनियल बनाम पंजाब राज्य **(2012) 11 एस. सी. सी 205: [2012] 7 एससीआर 1100;** बलवान सिंह बनाम छत्तीसगढ़ राज्य **(2019) 7 एससीसी 781 [2019] 11 एससीआर 1 संदर्भित किया गया।**

<u>मामला कानून संदर्भ</u>

[2001] 5 पूरक। एससीआर 588	**संदर्भित किया गया है**	**पैरा 18**
[1963] एससीआर 239	**संदर्भित किया गया है**	**पैरा 28**
[1987] 2 एससीआर 1096	**संदर्भित किया गया है**	**पैरा 28**
(1989) 2 पूरक। एससीसी 21	**संदर्भित किया गया है**	**पैरा 28**
[2002] 4 पूरक। एससीआर 130	**संदर्भित किया गया है**	**पैरा 28**
(2008) 3 एस. सी. सी 210	**संदर्भित किया गया है**	**पैरा 28**
(1999) 3 एस. सी. सी. 507	**संदर्भित किया गया है**	**पैरा 29**
[2000] 5 पूरक। एससीआर 408	**संदर्भित किया गया है**	**पैरा 30**
(2018) 8 एससीसी 127	**संदर्भित किया गया है**	**पैरा 30**
[2013] 3 एससीआर 1172	**संदर्भित किया गया है**	**पैरा 31**
आकाशवाणी 1956 एससी 51	**संदर्भित किया गया है**	**पैरा 31**
[2010] 15 एससीआर 1012	**संदर्भित किया गया है**	**पैरा 31**
[2012] 7 एससीआर 1100	**संदर्भित किया गया है**	**पैरा 31**
[2019] 11 एससीआर 1	**संदर्भित किया गया है**	**पैरा 32**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: 2021 की आपराधिक अपील संख्या 852

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के निर्णय एवं आदेश दिनांक-19.09.2018 से 2009 के सी०आर०ए० संख्या-727/2009 में ।

के साथ

2021 की आपराधिक अपील संख्या-853

अर्धेन्डुमौली कुमार प्रसाद, सुश्री तरुणा अर्धेन्डुमौली प्रसाद, अमित अर्जारिया, करण सिंह दलाल, रिताज कक्कड़, दीपकरण दलाल, आशीष मदान, अधिवक्ता। अपीलार्थी की ओर से।

श्रीयश यू. ललित, पशुपति नाथ राजदान, मिर्जा कायेश बेग, के. पी. जयराम, सुश्री मैत्रेयी जगत जोशी, अधिवक्ता। उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय **वी. रामसुब्रमण्यन, जे. के द्वारा दिया गया था।**

1. अनुमति दी गई।

2.भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 34 के साथ पठित धारा-302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उनकी दोषसिद्धि और प्रथम सत्र न्यायाधीश द्वारा उन पर लगाए गए आजीवन कारावाश की सजा पीठ द्वारा पुष्टी की गयी, जिसे चुनौती दी गयी और 2500/- रूपये के जुर्माने की सजा को चुनौती दी गयी है और मध्य प्रदेश और जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। आरोपी संख्या-2 और 3 इन आपराधिक अपीलों के साथ आए हैं।

3. हमने अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अर्धेन्दुमौली कुमार प्रसाद और श्री अमित अर्जारिया और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकिल एस. यू. ललित को सुना है।

4. श्रीमती. सहोदरा बाई (इसके बाद "ए-2" के रूप में संदर्भित), जो इन अपीलकर्ताओं में से एक अपीलार्थी हैं, श्री माधव (इसके बाद "ए-3" के रूप में संदर्भित) की बहन हैं जो दूसरी अपील में अपीलार्थी है। श्री राजू यादव, जो आरोपी नंबर 1 थे साहोद्रा बाई के पति हैं।

5. अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि 13.05.2008 की रात को लगभग 22.30 बजे तीनों आरोपियों ने एक राय होकर पप्पु उर्फ नंद किशोर (ए-1 का भाई) पर चाकू और लाठी से हमला किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद, अपराधियों को कानूनी सजा से बचाने के इरादे से ए-2 पीड़ित को सरकारी अस्पताल ले गया और पुलिस को झूठी सूचना भेजी मानो पीड़ित पर जानलेवा हमला रुइया और कैलाश नाम के दो अन्य व्यक्तियों द्वारा किया गया था। जबकि तीनों अभियुक्तों पर भारतीय दंड विधान की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 302 के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया था।, ए-2 पर भा०दं०वि० की धारा 211 और 194 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अतिरिक्त आरोप लगाया गया था।

6. अभियोजन पक्ष ने मुख्य रूप से (i) पीडब्लू 4,5,6,7 और 9 के कथित चश्मदीद गवाह, (ii) मृत्यु के कारण के बारे में चिकित्सा साक्ष्य और (iii) आरोपियों के घरों से अपराध को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियारों, चाकू और लाठियों की बरामदगी और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (संक्षेप में "एफ. एस. एल".) की रिपोर्ट पर भरोसा किया ।

7. जिन गवाहों की प्रत्यक्ष गवाही पर अभियोजन पक्ष द्वारा भारी निर्भरता रखी गई थी, उनमें से पीडब्लू 6 और 7 वे व्यक्ति थे जिन्हें ए-2 ने 13.05.2008 की रात को अस्पताल से भेजी गई प्रथम सूचना में आरोपी के रूप में नाम लिया था। पीडब्लू 4 और 5 पीडब्लू 6 और 7 से संबंधित थे। वास्तव में अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू 4 और 5 को पक्षद्रोही माना, जब उन्होंने

मुख्य परीक्षा के दौरान कहा कि उन्होंने मौके पर ए-3 को नहीं देखा, जो कि पुलिस को दिए गए उनके बयान के विपरीत था। सत्र न्यायालय ने उनकी गवाही पर आंशिक रूप से विश्वास किया। जहां तक यह मौके पर ए-1 और ए-2 की उपस्थिति से संबंधित थी, लेकिन जहां तक यह पीड़ित पर कथित हमले से संबंधित है, उनके साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया। लेकिन उच्च न्यायालय ने बिना किसी तुक या कारण के इस आधार पर आगे बढ़ा, जैसे कि पीडब्लू 4 और 5 स्वतंत्र गवाह थे जिन्होंने पीडब्लू-9 की गवाही की पुष्टि की। यहां तक कि इस तथ्य को भी नजरअंदाज कर दिया कि निचली अदालत ने अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया था।

8. पीडब्लू-6 कैलाश यादव नाम का एक व्यक्ति था और पीडब्लू-7 रुइया यादव नाम का व्यक्ति था। जैसा कि पिछले पैराग्राफ में कहा गया है, अस्पताल से ए-2 द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर दिनांक-13-05-2008 को दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्राथिमकी संख्या-331/2008 में पीडब्लू 06 और 07 को आरोपी के रूप में नामित किया गया था। सत्र न्यायालय ने पीडब्लू-6 के साक्ष्य को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया, लेकिन पीडब्लू-7 के कथन के एक हिस्सा को एक श्रीमति राधा रानी, मृतक की मॉ जो बचाव पक्ष की ओर से डीडब्लू-1 थी के तथा कथति पुष्टि के आधार पर स्वीकार कर लिया। लेकिन सत्र न्यायालय द्वारा संभावित माने गए पीडब्लू-7 के साक्ष्य का वह हिस्सा, केवल उस तर्क से संबंधित था जो पीड़ित पप्पु ने अपराध होने के समय से लगभग दो घंटे पहले अपने भाई राजू (ए-1) के साथ किया था। दिलचस्प बात यह है कि मृतक और ए-1 के बीच बहस कथित तौर पर मृतक द्वारा पीडब्लू-7 से उधार ली गई Rs.250/- की राशि के संबंध में थी, लेकिन उसके द्वारा चुकाई नहीं गई थी।

9. सत्र न्यायालय ने सपना यादव को, जिसकी जांच पीडब्लू 9 के रूप में की गई थी, जो घटना के समय 16 वर्ष की थी, स्टार गवाह के रूप में माना। वह मृतक की भतीजी थी। यद्यपि पुलिस द्वारा उसका बयान दिनांक-03-06-08 को दर्ज किया गया था। घटना की तारीख के 21 दिनों के बाद, सत्र न्यायालय ने उसके साक्ष्य पर विश्वास किया और सभी तीन अभियुक्तों को भा०दं०वि० की धारा-34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 302 के तहत दंडनीय अपराधों के

लिए दोषी ठहराया। हालाँकि, ए-2 को भा०दं०वि० की धारा 211 और 194 के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया था। उन सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और Rs.2500/- का जुर्माना भी लगाया गया।

10. ए-1 और ए-2 क्रमशः पति और पत्नी होने के नाते, 2009 की आपराधिक अपील संख्या-1323 में एक साथ अपील दायर की और ए-3 ने 2009 की आपराधिक अपील संख्या-727 में एक अलग से अपील दायर की उच्च न्यायालय की फाइल पर, उनकी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देते हुए। मुख्य रूप से स्टार गवाह पीडब्लू-9 की गवाही और मृत्यु के कारण के संबंध में चिकित्सा साक्ष्य पर भरोसा करते हुए, उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की और अपीलों को खारिज कर दिया। अपनी अपीलो की बर्खास्तगी से दुखी ए-2 और ए-3 अकेले उपरोक्त आपराधिक अपीलों के साथ आए हैं। तथापि, ए-2 द्वारा दायर अपील में ए-1 को प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

11. पीडब्लू 9 और 14 की गवाही में अंतर्निहित विरोधाभासों और उनकी गवाही के बीच स्पष्ट विसंगतियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दोषसिद्धि पूरी तरह से अनुमानों पर आधारित थी और इस तरह की दोषसिद्धि कानून में पूरी तरह से अस्थिर है।

12. हालॉकि, अपराध के लिए कथित रूप से उपयोग किए गए चाकू और लाठियों की जब्ती, जब्ती ज्ञापन के तहत अभियुक्तों के घरों से और एफएसएल से प्राप्त रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए, राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित किया था और सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय पीडब्लू-9 और अन्य के साक्ष्य पर भरोसा करना उचित ठहराया।

13. हमने अभिलेख पर सामग्री और दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है।

14. अपराध की घटना की तारीख अर्थात 13-05-2008 से हुई घटनाओं के क्रम की बारीकी से जांच, से पता चलेगा कि इस मामले में जांच सत्य की खोज में आगे बढ़ने के बजाय, सत्य को दफनाने की दिशा में आगे बढ़ी है। घटनाओं के क्रम को नीचे वर्णित करके इसकी सबसे अच्छी सराहना की जा सकती हैः

(क) स्वीकृत है कि सागर जिला के मोती नगर, पुलिस स्टेशन में सहायक उप-निरीक्षक के रूप में कार्यरत श्री जी. पी. द्विवेदी को दिनांक-13-05-2008 को लगभग 23.00 बजे सरकारी अस्पताल (टिली) से एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को वहां मृत लाया गया है। यह जानकारी ए-2 के कहने पर भेजी गई थी, जो पीड़ित के शव को ऑटो रिक्शा में अस्पताल ले गया था। इस सहायक उप निरीक्षक की जाँच पीडब्लू-12 के रूप में की गई थी। पीडब्लू-12 के अनुसार, 2008 की प्रथम सूचना संख्या- 331/2008 में 23.50 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता का नाम श्रीमती सहोदरा बाई (ए-2) दिखाया गया है और रुइया यादव और कैलाश यादव (बाद में पीडब्लू 6 और 7 के रूप में जांच की गई) को आरोपी के रूप में दिखाया गया है।

(ख) स्वीकृत है कि जाँच आर. के. सेन नाम के एक अन्य सहायक उप-निरीक्षक द्वारा की गई थी, जिसकी जाँच पीडब्लू 14 के रूप में की गई थी। उनके अनुसार, उन्होंने 14.05.2008 की सुबह जांच शुरू की। इसलिए, सामान्य पाठ्यक्रम में, किसी को उम्मीद होगी कि पहले रुइया यादव और कैलाश यादव के खिलाफ जांच आगे बढ़ेगी, जिन्हें आरोपी के रूप में नामित किया गया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शुरू से ही, पीडब्लू-14 ने सूचक सहोद्रा बाई और उसक पति और भाई को आरोपी और मूल आरोपी रूइया और कैलाशको गवाह बनाकर जॉच रिवर्स गियर में आगे बढ़ाई। किसी को उम्मीद होगी कि एक जाँच अधिकारी, जो पिछली रात 23.50 बजे में दर्ज की गई एफ़. आई. आर. के संबंध में 14.05.2008 की सुबह जाँच करता है, सूचना देने वाले का बयान दर्ज करें, घटनास्थल पर जाए, आरोपी को सुनिश्चित करे एवं सच्चाई का पता लगाने के लिए सबूत इक्कठा करे। लेकिन इस मामले में, आई. ओ. ने शुरू से ही मामले को पूरी तरह से सूचक और उसके परिवार के खिलाफ कर दिया था। आई. ओ. द्वारा ऐसा करने का कारण खोजना दूर की बात नहीं है।

(ग) जिरह के दौरान, पीडब्लू-14 ने स्वीकार किया कि जब उनके द्वारा 14.05.2008 को रुइया और कैलाश के खिलाफ जांच शुरू की गई थी तो राजीनीतिक दलों द्वारा प्रदर्शन किए गए थे। शायद यही कारण है कि आई. ओ. ने दिनांक- 15-05-2018 को चिकित्सीय जॉच के लिए ए-1 को जिला अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी (पीडब्लू-2 के रूप में परीक्षित) के पास ले गया और उसे इस आशय की रिपोर्ट मिली कि ए-1 के पीठ पर कई खरोंच थी। ऐसी रिपोर्ट के आधार पर, आई. ओ. ने निष्कर्ष निकाला कि ये खरोचें ए-1 के साथ मृतक की हाथापाई के दौरान हुई होगी।

(घ) दिनांक-15-5-2008 को ए-1 के शरीर पर चोटों के बारे में मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, पीडब्लू-12 ने स्वीकार किया कि दिनांक- 16.05.2008 की सुबह तीनों अभियुक्तों को पुलिस स्टेशन बुलाया और उनकी गिरफ्तारी की। दूसरे शब्दों में, अपराध के तीन दिनों के भीतर, एफ०आई०आर० में अभियुक्त के रूप में नामित व्यक्तियों को अभियोजन पक्ष के लिए गवाह बनाया गया और सूचक, उसके पति और उसके भाई को आरोपी बनाया गया।

(ड़) तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के 18 दिनों के बाद ही तथाकथित स्टार गवाह पीडब्लू-9 का बयान, आई. ओ. द्वारा दर्ज किया गया था।

(15) यह काफी अजीब और पूरी तरह से समझ के परे है कि कैसे, कहॉ, क्यों और किस समय, जो जॉच पीडब्लू 6 और 7 के खिलाफ शुरू होनी चाहिए थी, उसने यू-टर्न ले लिया और सूचक और उसके परिवार के सदस्यों की ओर बढ़ गई। शुरू से ही, अभियुक्तों का बचाव यह था कि राजनीतिक प्रभाव के कारण, उन्हें अभियुक्त बनाया गया और वास्तविक अभियुक्तों को गवाह बनाया गया। यह पीडब्लू-14 (आई. ओ.) द्वारा की गई स्वीकारोक्ति से पुष्टि होती है कि जब उन्होंने दिनांक-14.05.2008 को जाँच शुरू की, तो राजनीतिक दलों द्वारा प्रदर्शन किए गए थे।

16. चौंकाने वाली बात यह है कि पीडब्लू-14 द्वारा जिरह के दौरान यह स्वीकार किया गया कि उसे उस समय पता नहीं था, जब उसने जांच शुरू की थी (दिनांक-14-05-08 की सुबह),कि क्या प्राथमिकी में नामित आरोपी रुइया और कैलाश यादव (बाद में पीडब्लू 6 और 7 के रूप में जांचे गए) पुलिस हिरासत में थे। लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि 14.05.2008 की सुबह जांच शुरू करने के बाद, उन्होंने उन दोनों को गिरफ्तार नहीं किया।

17. आई. ओ. ने अपराध में रुइया और कैलाश यादव की भूमिका पर संदेह क्यों नहीं किया, इसका कारण स्पष्ट नहीं है। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि कभी-कभी जो व्यक्ति अपराध करते हैं, वे स्वयं प्रथम सूचना देते/दर्ज करते हैं, ताकि निर्दोषता का बहाना बना सकें। लेकिन ऐसे मामलों में भी जांच आम तौर पर पहले उन लोगों के खिलाफ आगे बढ़गी, जिन्हें प्राथमिकी में आरोपी के रूप में नामित किया गया था और उसके बाद, संदेह की सुई स्वयं सूचक की तरफ घुम सकती है।

18. कारी चौधरी बनाम श्रीमित सीता देवी एवं वगैरह मामले में इस न्यायालय के फैसले के संबंध में एक उपयोगी संदर्भ दिया जा सकता है। यह एक मामला था जहां पीड़ित की सास ने पहले अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की शिकायत दर्ज कराई, जो कथित तौर पर उसकी बहू के शयनकक्ष में घुस गए और उसकी हत्या कर दी। सास की शिकायत के आधार पर दर्ज प्राथमिकी की जांच की प्रगति के दौरान, पुलिस ने पाया कि हत्या पहले सूचक और उसकी अन्य बहू द्वारा रची गई साजिश के अनुसार की गई थी। इसलिए, पुलिस ने अदालत को इस आशय की रिपोर्ट भेजी कि सास के कहने पर दर्ज प्राथमिकी में लगाए गए आरोप झूठे थे। इसके बाद पुलिस ने एक नई प्राथमिकी दर्ज की और मूल सूचक एवं अन्य के खिलाफ जांच जारी रखी। मूल सूचक ने पहली प्राथमिकी पर पुलिस की रिपोर्ट के खिलाफ एक विरोध याचिका दायर की, लेकिन इसे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (संक्षेप में "सीजेएम") द्वारा खारिज कर दिया गया। हालांकि, उक्त आदेश को उच्च न्यायालय ने एक पुनरीक्षण में पलट दिया और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को दं०प्र०सं० की धारा 202 के तहत जांच करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद, पुलिस ने मूल सूचक (सास) और दो अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने मामले को सत्र न्यायालय में दौरा सुपुर्द कर दिया और सत्र न्यायाधीश ने धारा 302 के साथ धारा-34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप तय किया, लेकिन सास ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कार्यवाही को रद्द करवा दिया। वह आदेश कारी चौधरी (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के समक्ष अपील का विषय बन गया। मुख्य बात उस मामले में सूचक का तर्क था कि एक बार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के विरोध याचिका को खारिज करने के आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था, इस तरह के आदेश का तार्किक परिणाम यह था कि पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुँची कि मूल शिकायत झूठी थी, इसलिए खारिज कर दी गई। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि एक और अभियोजन नहीं हो सकता है और वह भी सूचक के खिलाफ उक्त तर्क को खारिज करते हुए इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पहली शिकायत पर न्यायालय द्वारा अपनाया गया मार्ग पुलिस को अपराध की जांच जारी रखने और वास्तविक अपराधी के बारे में अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने में अक्षम नहीं कर सकता है। कारी चौधरी (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के समक्ष एक और तर्क यह था कि एक बार पहली प्राथमिकी के तहत शुरू की गई कार्यवाही अंतिम रिपोर्ट में समाप्त हो जाने के बाद, पुलिस को दूसरी प्राथमिकी दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था। उक्त तर्क पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने राय दी; "निश्चित रूप से कानूनी स्थिति यह है कि एक ही मामले में एक ही आरोपी के खिलाफ दो प्राथमिकियां नहीं हो सकती हैं, लेकिन जब एक ही प्रकरण के संबंध में प्रतिद्वंद्वी संस्करण होते हैं, तो वे आम तौर पर दो अलग-अलग प्राथमिकियों का आकार लेते हैं और उन दोनों के तहत जांच की जा सकती है।

19. इसलिए, कभी-कभी ऐसा होता है कि असली अपराधी ज्ञात या अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करता है, ताकि अपराध की जॉच को गलत दिशा दे सके, लेकिन ऐसे मामले में भी, यह केवल पहली एफ़. आई. आर. की जाँच के दौरान ही हो सकता है कि मामला यू-टर्न लें जब ऐसा होता है, तो सूचक को भा०दं०वि० के अध्याय 11 के विभिन्न प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अतिरिक्त आरोपों का भी सामना करना पड़ सकता है। ठीक यही कारण है कि इस मामले में अभियोजन पक्ष ने भा०दं०वि० की धारा 194 और 211 के तहत

दंडनीय अपराधों के लिए ए-2 पर आरोप लगाया। लेकिन निचली न्यायालय ने उन्हें इन दो प्रावधानों के तहत आरोपों से बरी कर दिया।

20. जैसा कि पहले कहा गया है, जब उनसे पूछा गया कि क्या रुइया और कैलाश यादव (पीडब्लू 6 और 7), जो मूल आरोपी थे, कभी भी हिरासत में लिए गए थे, तो आई. ओ. (पी. डब्ल्यू.-14) ने अज्ञानता का नाटक किया। आई. ओ. द्वारा दिया गया उत्तर इस प्रकार हैः

" यह मेरी जानकारी में नहीं था कि जब मैंने जांच शुरू की थी तब रुइया और कैलाश यादव पुलिस की हिरासत में थे। इस जानकारी के बारे में जानकारी होने पर कि रुइया और कैलाश के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, मैंने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की ", लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अभियोजन पक्ष के मुख्य गवाह, अर्थात् पीडब्लू-9, जो घटना के समय केवल 16 वर्ष के थे, ने न केवल उनकी गिरफ्तारी के बारे में जानकारी का दावा किया, बल्कि यह भी खुलासा किया कि उसके बाद क्या हुआ था। इस संबंध में पीडब्लू-9 की गवाही इस प्रकार हैः

" यह सच है कि मेरे मौसा पप्पु की मृत्यु के बाद पुलिस ने हत्या के आरोप में रूइया और कैलाश को हिरासत में लिया था। मुझे यह पता नहीं है कि मेरे मौसा कहाँ रहते थे। वहाँ का कौन नेता है। यह सच है कि रूइया और कैलाश को हिरासत में लेने के लिए मोहल्ला में हड़ताल हुई थी। यादव जाति के लोग इकट्ठे हुए थे। यह सच है कि यादव जाति के लोगों ने पुलिस पर दबाव डाला और रूइया और कैलाश को उसी दिन छोड़ दिया गया जब मेरे मौसा की अस्थी आई थी। "

(21) दुर्भाग्य से न तो निचली अदालत और नही उच्च न्यायालय ने आई०ओ० द्वारा पीडब्लु-14 के रूप में की गई स्वीकारोक्ति बयान के संदर्भ में पीडब्लु-9 की ओर से उपरोक्त स्वीकारोक्ति बयान पर ध्यान दिया।

22. यह मामला राजनीतिक दबाव के कारण सूचक और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ थोपा गया था। यह भी पीडब्लु-14 की गई एक अन्य स्वीकारोक्ति बयान से पता चला है जो इस प्रकार है।

" मुझे उच्च पुलिस अधिकारियों द्वारा मौखिक निर्देश दिए गए थे कि कैलाश यादव, रूइया @ भागीरथ यादव को अभियुक्त के बजाय गवाह के रूप में शामिल किया जाए। जब मैंने जॉच शुरू की तो उस समय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तिलक सिंह ने मुझे मौखिक आदेश दिया कि कैलाश और रूइया को आरोपी के बजाय गवाह के रूप में शामिल किया जाए। मैंने अपनी डायरी में उस आदेश का उल्लेख नहीं किया है। इस मामले में जाँच के दौरान मृतक के साथ खराब संबंध थे, यह तथ्य अभिलेख पर नहीं आया है। "

23. आई. ओ. के अनुसार, ए-1 द्वारा अपराध करने के लिए इस्तेमाल किया गया चाकू ए-1 के घर से जब्त किया गया था। इसी तरह अपराध को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की गई लाठियॉ भी ए-2 और ए-3 के घरों से जब्त की गई थी। आई०ओ० के अनुसार, गवाहों की उपस्थिति और जब्ती ज्ञापन तैयार किए जाने पर जब्ती की गई। लेकिन उन गवाहों दल चंद्रा और दीन दयाल ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया। दल चंद्र की जांच पीडब्लू-1 के रूप में की गई और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि (i) उनकी उपस्थिति में अभियुक्तों से कोई पूछताछ नहीं की गई; और (ii) उसकी उपस्थिति में अभियुक्त से कोई हथियार जब्त नहीं किया गया था। हालांकि, उन्होंने जब्ती ज्ञापन में अपने हस्ताक्षर को स्वीकार किया। उन्होंने इसे यह कहकर समझाया कि उन्होंने पुलिस स्टेशन में पास स्थित होटल के बाहर जब्ती ज्ञापन और ज्ञापन विवरण पर हस्ताक्षर किए। पक्षद्रोही घोषित किए जाने के बाद भी, उन्होंने अपर लोक अभियोजक द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में दोहराया कि हथियारों की जब्ती उनकी उपस्थिति में नहीं की गई थी। फिर भी उच्च न्यायालय ने पीडब्लु-1 की गवाही को केवल इस आधार पर मान्यता दी कि उसने जब्ती ज्ञापन और ज्ञापन विवरण में हस्ताक्षर स्वीकार किए थे।

24. यह तथ्य, कि शुरुआत से ही आई. ओ. ने उन दो व्यक्तियों का पक्ष लिया जिन्हें मूल रूप से एफ़. आई. आर. में अभियुक्त के रूप में नामित किया गया था, उनके द्वारा मुख्य जाँच में दिए गए बयान से भी पता चलता है कि पहले ही दिन उन्होंने कैलाश और रुइया सहित कई

गवाहों के बयान दर्ज किए थे। इसका मतलब यह है कि उन्होंने पहले सह तय करके शुरुआत की थी कि सूचक उसका पति और उसका भाई अपराधी थे और मूल आरोपी निर्दोष थे। इस संबंध में पीडब्लू-14 के साक्ष्य का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

" घटना स्थल से खून से सनी मिट्टी और आम मिट्टी एकत्र की गई थी और अलग-अलग पैकटों में सील कर दी गई थी गवाहों की उपस्थिति में अलग-अलग पैकेट जब्त किए गए थे और जब्ती ज्ञापन प्रदर्श-15 जिस पर बी से बी तक मेरे हस्ताक्षर हैं। उस तारीख को केवल गवाह राहुल यादव, राजेश यादव, कैलाश यादव, रुइया @ भागीरथ यादव, बेबी @ लीलाबाई, गंधर्व पटेल, रघुवीर ठाकुर, बृजेश रावत, ओम प्रकाश पाठक, गोरेलाल कुर्मी, महेश कुर्मी का बयान उनके द्वारा बताये अनुसार लिया गया और मेरी ओर से कुछ भी नहीं बढ़ाया या घटाया गया। "

25. दिलचस्प बात यह है कि अभियोजन पक्ष द्वारा बनाई गई कहानी यह थी कि ए-1 का अपने भाई (मृतक) के साथ अपराध के कुछ समय पहले/झगड़ा हुआ । मृतक द्वारा रुइया को Rs.250/की राशि का भुगतान न करने पर झगड़ा हुआ और झगड़े में ए-1 घायल हो गया और उसके बाद सभी 3 अभियुक्तों ने पीड़ित पर हमला किया जिसके परिणामस्वरूप उसकी मौत हो गई। ए-1 के पास रुइया का मुद्दा उठाने और अपने ही भाई की हत्या करने की हद तक जाने का कोई कारण नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य से, निचली अदालत ने ए-1 और मृतक दोनों की मां डी. डब्ल्यू-1 की गवाही के आधार पर इस कहानी पर विश्वास किया है। डी. डब्ल्यू.-1 ने अपनी गवाही में केवल इतना कहा कि ए.-1 ने मृतक से सवाल किया कि वह रुइया को देय धन क्यों नहीं लौटा रहा है।

26. पी. डब्ल्यू.-9 की गवाही पर आते हुए, जिसे अभियोजन पक्ष के लिए स्टार गवाह के रूप में पेश किया गया था, आई. ओ. द्वारा उसका बयान घटना के 21 दिनों के बाद दिनांक-03-06-2008 को दर्ज करने के लिए दिया गया स्पष्टिकरण अविश्वसनीय है। किसी भी मामले में, यदि उसके साक्ष्य को स्वीकार किया जाना है, तो इसे कुल मिलाकर स्वीकार

किया जाना चाहिए। हम उसके सबूत का एक हिस्सा पहले ही निकाल चुके हैं, जहाँ उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि रुइया और कैलाश को मूल रूप से हिरासत में लिया गया था और जिस जाति के लोगों से वे संबंधित थे, उनके द्वारा विरोध किया गया था और उन लोगों ने रुइया और कैलाश को क्लीन चिट देने के लिए पुलिस पर दबाव भी डाला था। पीडब्लू-9 की ओर से इन स्वीकारोक्ति ने अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से अविश्वसनीय बना दिया।

(27) इस तथ्य के अलावा कि जिन गवाहों की उपस्थिति में कथित तौर पर हथियार को जब्ती की गई थी, वे मुकर गए थे, एक और बात भी थी। यह दिखाने के लिए कि अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि उन अभियुक्तों में से केवल इसलिए कि प्रदर्श पी-25 (एफएसएल रिपोर्ट) के अनुसार, चाकू और लाठियों को पुलिस द्वारा जब्त किया गया था, जिसमें मानव रक्त के दाग थे। अभियोजन पक्ष ने एफएसएल की रिपोर्ट के माध्यम से या अन्यथा यह स्थापित नहीं किया है कि चाकू और लाठियों में खून के धब्बे मृतक के थे।

28. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि इस पहलू पर विचारों में भिन्नता है। **राघव प्रपन्ना त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** 2 मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने बहुमत से कहा कि " केवल रक्तरंजित मिट्टी की उपस्थिति से यह निष्कर्ष निकालना दूर की कौड़ी होगी कि वह मिट्टी मानव रक्त से रंगी हुई थी और मानव रक्त पीड़ितों का था। " **कंस बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य** 3 " के मामले में, इस न्यायालय ने अपीलार्थी को इस आधार पर बरी कर दिया कि हालांकि सीरोलॉजिस्ट रिपोर्ट में अपीलार्थी के कब्जे से बरामद शर्ट और धोती को मानव रक्त से सना हुआ पाया गया, लेकिन इसे मृतक के रक्त से जोड़ने का कोई सबूत नहीं है। **सुरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य** 4 में, कथित रूप से अपराध करने के लिए इस्तेमाल किए गए चाकू पर पाए गए खून के धब्बे मानव रक्त के रूप में स्थापित किए गए थे। लेकिन इस न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के सिद्धांत को इस आधार पर खारिज कर दिया कि चाकू पर खून के धब्बे मृतक के रक्त के समान समूह का नहीं दिखाया गया था। **रघुनाथ, रामकिशन और अन्य बनाम हरियाणा राज्य,** 5 में इस न्यायालय ने माना कि रक्त का धब्बा, हालांकि मानव रक्त का है, यह

दिखाने के लिए निर्णायक सबूत नहीं है कि यह मृतक के रक्त समूह से संबंधित है। **सत्ततीय बनाम महाराष्ट्र राज्य** 6 के मामले में, इस न्यायालय ने अपराध करने के लिए उपयोग की गई वस्तु की बरामदगी से संबंधित साक्ष्य की विश्वसनीयता को पाया, इस तथ्य के कारण कि रक्त के दाग, हालांकि मानव स्रोत के पाए गए हैं, मृतक के रक्त से नहीं जोड़ा जा सकता है।

29. इसके विपरीत, इस न्यायालय ने **राजस्थान राज्य बनाम तेजा राम और अन्य** 7 में निर्णय दिया कि कभी-कभी सीरोलॉजिस्ट रक्त की उत्पत्ति का पता लगाने में विफल हो सकता है, या तो क्योंकि दाग बहुत अपर्याप्त है या हेमेटोलॉजिकल परिवर्तनों और प्लाज्माटिक जमावट के कारण। **राघव प्रपन्ना त्रिपाठी (उपरोक्त) मामले** में संविधान पीठ के फैसले का उल्लेख करने के बाद इस न्यायालय ने **तेजा राम (उपरोक्त)** में अभिनिर्धारित किया कि ऐसा नहीं है कि हथियार की बरामदगी से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियाँ अनुपयोगी हो जाएंगी, उन सभी मामलों में जहां रक्त की उत्पत्ति का पता लगाने में विफलता थी। इस न्यायालय ने **तेजा राम** (ऊपर) में संकेत दिया कि ". आपराधिक न्यायालय का प्रयास कल्पनाशील संदेहों कि खोज में नहीं रहना चाहिए " और यह कि संदेह उचित आयाम का होना चाहिए, जिसे न्यायिक रूप से जागरूक दिमाग कुछ निष्पक्षता के साथ स्वीकार करता है।

30. **तेजाराम (उपरोक्त)** में दिए गए निर्णय का पालन **गुरा सिंह बनाम राजस्थान राज्य 8 और प्रभु दयाल बनाम राजस्थान राज्य** 9 में किया गया था।

31. **आर. शाजी बनाम केरल राज्य** 10 के मामले में, इस न्यायालय ने **प्रभु बाबाजी नवल बनाम बॉम्बे राज्य 11** से लेकर लगभग सभी पिछले फैसलों पर ध्यान दिया जिनमें **राघव प्रपन्ना त्रिपाठी (उपरोक्त); तेजा राम (उपरोक्त), गुरा सिंह (उपरोक्त); जॉन पांडियन बनाम राज्य 12** और **सुनीलक्लिफोर्ड डेनियल बनाम पंजाब राज्य 13** भी शामिल हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक बार बरामदगी अभियुक्त द्वारा एक प्रकटीकरण के बयान के अनुसरण से की जाती है, रक्त समूहों का मिलान या गैर-मिलान महत्व खो देता है।

32. इसलिए, जैसा कि इस न्यायालय ने **बलवान सिंह बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 14**

में बताया है ऐसा कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं हो सकता जिसे अभियोजन पक्ष को साबित करना पड़े या साबित करने की आवश्यकता हो कि रक्त समूह मेल खाते हों। लेकिन अदालत की न्यायिक अंतरात्मा को बरामदगी और मानव रक्त की उत्पत्ति दोनों के बारे में संतुष्ट होना चाहिए।

33. मौजूदा मामले में, यहां तक कि पीडब्लू-1, जो कथित रूप से जब्ती का गवाह था, भी मुकर गया था। शुरू से ही अभियोजन पक्ष की ओर से राजनीतिक दबाव के कारण पहली प्राथमिकता में नामित दोषियों को बचाने का प्रयास किया गया है, जैसा कि पीडब्लू-14 द्वारा स्वीकार किया गया और पीडब्लू-9 द्वारा पुष्टि की गई, जिसे अभियोजन पक्ष ने एक स्टार गवाह माना। दुर्भाग्य से, सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने इन पहलुओं की पूरी तरह से अनदेखी की।

34. उच्च न्यायालय के फैसले से यह देखा गया है कि अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व न्यायमित्र ने या तो अभियुक्तों द्वारा अधिवक्ता को नियुक्त करने में असमर्थता के कारण या सुनवाई के समय उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता की गैर-उपस्थिति के कारण किया गया है। नतीजतन, ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त को सर्वोत्तम कानूनी सहायता नहीं मिली है। इस तरह के मामलों में अदालत का बोझ बहुत अधिक होता है और दुर्भाग्य से सत्र अदालत और उच्च न्यायालय ने इस बोझ का ठीक से निर्वहन नहीं किया।

35. उपरोक्त के आलोक में, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि इस मामले में जांच पीडब्लू-14 द्वारा की गई थी, सच्चाई का पता लगाने के इरादे से नहीं, बल्कि अनावश्यक विचार के लिए उसी तथ्य को गहराई से दफनाने के लिए और यह कि यह सूचना देने वाले और उसके परिवार के सदस्यों को आरोपी के रूप में बदलने और प्राथमिकी में नामित वास्तविक दोषियों को बचाने के लिए बनाया गया था। सत्र न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों ने पीडब्लू 9 और 14 द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति की पूरी तरह से अनदेखी की है। उन्होंने सामान्य मनुष्य के आचारण को भी ध्यान में नहीं रखा है। यह अविश्वसनीय है कि ए-1, ए-2 और ए-3 के कारण ए-1 के भाई की मृत्यु हुई क्योंकि पीड़ित रुइया (पीडब्लू-7) को देय राशि

वापस करने में विफल रहा और उसके बाद, उन्होंने जानबूझकर रुइया को आरोपी के रूप में नामित किया। यह भी उतना ही अविश्वसनीय है कि पीड़ित की हत्या करने वाले व्यक्तियों में से एक, गवाहों की उपस्थिति में, एक ऑटोरिक्शा में पीड़ित के शव को अस्पताल ले गया। ऐसी परिस्थितियों में सामान्य मानव व्यवहार या तो उस घटनास्थल से भागना होगा या आत्मसमर्पण करने के लिए पुलिस स्टेशन जाना होगा, सिवाय उन मामलों के जहां वे बुद्धिमान और अनुभवी अपराधी हैं। ऐसा भी नहीं हुआ।

36. इसलिए, हमारा सोच समझकर यह विचार है कि अपीलों को अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन ऐसा करने से पहले, हमें इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि ए-1 अपील पर नहीं आया है। हालांकि राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीयश यू. ललित ने कहा कि ए-1 का मामला पूरी तरह से अलग है और इसलिए, उनके द्वारा एक स्वतंत्र अपील के अभाव में, उन्हें कोई राहत नहीं दी जा सकती है, हम सहमत नहीं हैं। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें हमने ए-2 और ए-3 (अपीलार्थी) की ओर से व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कार्यों के आधार पर कार्रवाई की है और यह निष्कर्ष निकाला है कि वे बरी होने के हकदार हैं। यह एक ऐसा मामला है जिसमें हमने अभियोजन पक्ष की कहानी पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया है। इसलिए, ए-1 को उक्त निष्कर्ष के लाभ को केवल इस तकनीकी आधार पर अस्वीकार करना कि वह अपील पर नहीं है, एक घोर अन्याय के लिए हमारी आंखें बंद करना होगा, विशेष रूप से जब हम अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने के लिए सशक्त हैं।

37. इसलिए, अपीलार्थियों द्वारा दायर अपीलों की अनुमति दी जाती है और ए-1 सहित सभी तीन आरोपियों के खिलाफ सत्र न्यायालय द्वारा सौंपी गई और उच्च न यायालय द्वारा पुष्टि की गई सजा को खारिज कर दिया जाता है। तीनों अभियुक्तों को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा, जब तक कि वे किसी अन्य मामले के संबंध में हिरासत में न हों।

अपील स्वीकृत किया गया ।

निधि जैन

[2021] 8 एस. सी. आर. 451

माधव

वी.

मध्य प्रदेश राज्य

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 852)

18 अगस्त, 2021

[इंदिरा बनर्जी और वी. रामसुब्रमणियन, जे. जे.]

1 (2002) 1 एस. सी. सी.714

2 ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 74

3 (1987) 3 एस. सी. सी. 480

4 (1989) सप.(2) एस.सी.सी.21

5 (2003) 1 एस. सी. सी.398

6 (2008) 3 एस. सी. सी.210

7 (1999) 3 एस. सी. सी.507

8 (2001) 2 एस. सी. सी.205

9 (2018) 8 एस. सी. सी.127

10 (2013)14 एस. सी. सी.266

11 ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 51

12 (2010) 14 एस. सी. सी.129

13 (2012) 11 एस. सी. सी.205

14 (2019) 07 एस. सी. सी.781